झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०– SUDA/AMRUT/37/2017........5041........ राँची, दिनांकः– 12/10/18

झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमावली, 2017 (संशोधित) (Revised Jharkhand Municipal Trade License Regulation, 2017) की कंडिका 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमावली, 2017 की कंडिका–2(e) एवं 20 में उल्लेखित प्रावधानों को निम्नरूपण शिथिल करने का निर्णय लिया गया हैः–

झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमावली, 2017 की कंडिका–2(e) में प्रावधानित है कि राज्य के नगर निकायों और अधिसूचित क्षेत्र समिति में पूर्व से व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को Notification निर्गत होने के तीन माह तक Municipal Trade License हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं, जिसका अनुपालन नहीं करने पर कंडिका–20 के तहत् अधिकतम रू० 100/– जुर्माना के साथ प्रतिदिन अधिकतम रू० 10/– जुर्माना लिये जाने का प्रावधान है।

2. तत्संबंध में दिनांक 11.09.2018 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत, नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्र समिति में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए Municipal Trade License के लिए उक्त आवेदन समर्पित किये जाने की तिथि को बिना जुर्माना लिये दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक के लिए विस्तारित किया जाये।

3. मंत्रिपरिषद् के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में Municipal Trade License के लिए आवेदन समर्पित किये जाने की तिथि को बिना जुर्माना लिये दिनांक 31 दिसम्बर 2018 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

4. प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 11.09.2018 में मद संख्या 06 में "अन्यान्य" के रूप में स्वीकृत है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव ।

अधि० सं०– SUDA/AMRUT/37/2017........5041........ राँची, दिनांक–12/10/18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।

अधि० सं०– SUDA/AMRUT/37/2017........5041........ राँची, दिनांक–12/10/18

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/महाप्रबंधक, जुडको/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव ।